

कार्यालय : सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश,

23 एलनगंज, प्रयागराज, पिन कोड:- 211002

दूरभाष सं० / फॅक्स नं०:- 0532-2467504, 0532-2466769 Website: <http://updeled.gov.in>

ई-मेल आई डी:- secretarypnp.up@gmail.com, uptetheline@gmail.com

विज्ञप्ति

दिनांक 08.01.2020 को आयोजित उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPPET) 2019 की परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपुस्तिकाओं के चारों सीरीज की प्रकाशित उत्तरमाला का अवलोकन अभ्यर्थी निर्धारित वेबसाइट <http://updeled.gov.in> पर दिनांक 14.01.2020 के अपराह्न से कर सकते हैं। वेबसाइट पर प्रकाशित उत्तर माला के क्रम में यदि इच्छुक अभ्यर्थी कोई आपत्ति संज्ञान में लाना चाहते हैं तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 17.01.2020 तक निर्दिष्ट वेबसाइट updeled.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन संज्ञान में ला सकते हैं -

1. शासनादेश 755/अरसठ-4- 2019-2750/2012 बेसिक शिक्षा अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक 17.10.2019 के बिन्दु सं० 18.11 में दिये गये निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को प्रकाशित उत्तरमाला के प्रति आपत्ति दर्ज करायें जाने हेतु प्रति प्रश्न रू० 500 की दर से ऑनलाइन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। आपत्ति शुल्क ऑनलाइन जमा करने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति शुल्क जमा नहीं किये जाने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दर्ज करायी गयी आपत्ति, विषय विशेषज्ञों द्वारा सही पाये जाने पर, अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गयी धनराशि परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थी को ऑनलाइन वापस (Refund) कर दी जाएगी। तथा दर्ज करायी गयी आपत्ति सही नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न की दर से भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस (Refund) नहीं किया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तरमाला पर आपत्ति दर्ज करने से पूर्व भली-भाँति सुनिश्चित हो लें।
3. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन दर्ज करायी गयी आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त अभिमत के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करते हुए अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तरमाला के प्रकाशन के उपरान्त, प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी भी प्रकार के साक्ष्य/अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किये जाएंगे। अभ्यर्थी आपत्ति के साक्ष्य के रूप में Book Reference का नाम प्रश्न के सामने Remark विकल्प पर अंकित कर सकते हैं।
5. आपत्ति केवल निर्दिष्ट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार की जायेगी। व्यक्तिगत, पत्राचार एवं मोबाइल आदि किसी अन्य माध्यम से कोई भी आपत्ति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी। निर्धारित अंतिम तिथि 17.01.2020 के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं की जायेगी।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, प्रयागराज

पृ०सं० / गोप० / टी०ई०टी० 19 / 20804-08 / 2019-20 दिनांक 13.01.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-4, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-4, उ०प्र० शासन लखनऊ।
3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
5. श्री एम०ए० इंदरिस, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 हेतु प्रकाशित उक्त विज्ञप्ति एवं उत्तर माला को निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड करने तथा ऑन लाइन आपत्ति प्राप्त करने सम्बन्धित समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, प्रयागराज